



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक : 3013 / अका. / 2005

रायपुर, दिनांक : 16 / 12 / 2005

॥ अधिसूचना ॥

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय समन्वय समिति की दिनांक 25.07.2005 को सम्पन्न दसवीं बैठक के कार्यवृत्त भाग (ख) "अध्यादेश एवं परिनियम" के अंतर्गत "पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फारेस्ट मैनेजमेंट" एकवर्षीय नियमित पाठ्यक्रम से सम्बन्धित अध्यादेश क्रमांक 166 के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया है। उक्त पाठ्यक्रम केवल विश्वविद्यालय अध्ययन शाला में संचालित होगा।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

पृ.क्रमांक : 3014 / अका. / 2005

रायपुर, दिनांक : 16 / 12 / 2005

प्रतिलिपि :-

1. अध्यक्ष, सम्बन्धित अध्ययन शाला,
2. उप कुलसचिव (परीक्षा) / विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (गोपनीय),
3. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक,

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को उपरोक्त निर्णय के परिपालन में अनुमोदित अध्यादेश की प्रति संलग्न करते हुए सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (अका.)